months extension, the interest of our country would not be affected in any way nor would it come in the way of any action that may be considered appropriate by the Government to acquire mapority control over other companies which had not been taken over. I would also like to inform the House that we are already in negotiation with the other company Burmah Shell, and action, as considered appropriate, according to the facts and information that becomes available to us, would be taken without much delay.

With these submissions. I commend this Bill to the House.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस बात का विश्वास दिलायें कि आप इसके बाद समय नहीं मांगेंगे ।

श्री शाहनवाज खां : अगर कोई कानूनी पेचीदगी नहीं हुई, तो और समय नहीं मांगेंगे ।

MR CHAIRMAN: The question is.

"That the Bill to amend the Esso (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.'

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments. The question is:

"That clause 2, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 2, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

16.50 hrs.

DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): On behalf of Shri Umashankar Dikshit, I beg to move:

"That the Bill to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1974, be taken into consideration".

This short Bill seeks to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act 1971, for getting over some difficulties which may be experienced during the working of that Act. This Bill has been drafted in consultation with the Delhi Sikh Gurdwara Board constituted under the Delhi Sikh Gurdwaras Management Act, 1971, for the proper management and control of the Gurdwaras and their property in the capital. I shall now proceed to explain the provisions of the Bill.

Section 40(2)(a) of The Act empowers the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee to make regulations providing for the manner and the criterion for deciding whether a candidate for election or cooption to the Committee is able to read and write Gurmukhi. Since the initial constitution of the Committee is possible only after the general election, it is proposed to confer the power to make rules in that behalf on the Central Government. Cl. 2(b) and cl. 6 of the Bill are intended to achieve that objective. Opportunity is also being taken to amend clause (m) of section 10 (1) of the Act, as proposed in clause 2(a) of the Bill, so as to provide that a person should

[Shri F. H. Mohsin]

be able to read and write Gurmukhi, instead of read or write Gurmukhi, to qualify for election or co-option as a member of the Committee. This amendment will also bring this provision in line with the corresponding provision of the Punjab Sikh Gurdwaras Act, 1925.

The provisions of sec. 15(4) and 16(1) and (2) of the Act envisage that the *pro-tempore* Chairman and the office-bearers of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee and its Executive Board shall be elected by the Committee at its first meeting. There is no provision in the Act for resolving any difficulty which may arise out of the Committee's inability to elect all the office-bearers at the first meeting and this may require summoning of another meeting of the Committee. Cl 4 of the Bill seeks to insert a new section 16A for empowering the Director, Gurdawara Elections, to summon another meeting of the Committee to elect the remaining office-bearers.

Section 31 of the Act provides for the settlement of disputes regarding elections, corrupt practices and electoral offences in respect of election or co-option of the members of the Committee, and the District Judge in Delhi is empowered to deal with all questions relating to such disputes. Section 32 of the Act specifies certain additional matters and disputes which fall within the jurisdiction of the District Judge in Delhi. Under clauses (a) and (b) of section 32, the question whether or not a person is a Sikh for the purpose of registration as a voter and/or for contesting election as member or any other question involving the qualification or disqualification of a person for election as member of the Committee can be raised before the District Judge in Delhi otherwise than by means of an election petition. It is feared that, in such an event, the process of election cannot be completed It is, therefore, proposed to clarify on the analogy of the corresponding provisions in the Representation of the people Act, 1951, that a petition for the settlement of any election dispute would lie only after the election is over. Accordingly, clause 5 of the Bill seeks to omit the provisions in clauses (a) and (b) of section 32 of of the Act and to make it clear that validity of the electoral roll already prepared shall not be called in question just because of this amendment.

Other amendments proposed in the Bill are either of clarificatory or consequential nature.

Sir, I comend this Bill to the House

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) यह बडी खुशी की बात है कि आप इस वक्त सदारत कर रहे हैं और श्री मोहसिन ने इस बिल को पेश किया है और श्री ज्योतिर्मय साहब बोलने जा रहे हैं । सैक्युलरिज्म को इससे ज्यादा बडी मिशाल नही हो सकती है ।

सभापति महोदय : आपकी उम्मीद पूरी होगी ।

श्री बूटा सिंह (रोपड) : सिख धर्म के सबसे बडे गुरुद्वारे, गोल्डन टैम्पल की बुनियाद ही मियां मीर जी ने रखी थी ।

सभापति महोदय : मुझे भी खुशी है कि सिख धर्म के बहु माने हुये रहनुमा बाबा फरीद साहब की पाच सौवी सालगिरह भी बडे जोर शोर से मनाई जा रही है और मै भी उसका एक खादिम हूं ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I regret to say that I rise to speak on this Bill which in fact is being anxiously awaited by a large population throughout the country and even outside the country Although the Prime Minister had given a written assurance to the Siromani Gurdwara Prabandhak Committee, yet there was no inten-

tion on the part of the Government to pass this Bill till the time when in the last Business Advisory Committee I insisted that this Bill should be passed in this session. The Government had no other alternative.

Certain good things have been said just now by my friend Comrade Banerjee and reciprocated by Sardar Buta Singh. The Government have been trying to make a political encashment of the whole thing In May 1971 the Gurdwara Committees were dissolved. The Congress Government took over the Gurdwaras and appointed Congressmen as committee members: Sardar Joginder Singh, who was a Governor, an M.P. and a Congressman, Sardar Bahadur Ranjit Singh, Mohan Singh Member of the New Delhi Congress Committee, Jagjit Singh, retired judge and so on. There was a big agitation staged by the Sikh community for exercising democratic rights. On 24th December 1971 a Bill was passed in Parliament and in February 1972 they started preparing for elections and a huge staff was appointed and the expenses were debited to the Gurudwara fund. In 1974 all the preliminaries were completed and various parties were informed about symbols that were allotted but the Congress Party in order to scuttle this brought in certain amendments One amendment was the candidate should be able to read and write

17.00 hrs

There was no other objection to the clauses. So, the amendment went to the Metropolitan Council and certain complications were created. This is how from 1971 it has been pending.

श्री एस० एम० बनर्जी: पालियामेंट के मेम्बरों के लिए यह चीज नहीं है जो यहा कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह सही बात है।

Mr Banerjee is such a knowledgeable man that nothing can escape his attention. When lakhs of people had been waiting for certain legislative action on the part of the Government in which they should have taken the initiative in the mateer, to further their political interests in Punjab and other places where Sikhs are living, they tried to delay, scuttle and sabotage the whole thing. Until they were pressurised, they would not move. I only want to submit that Government should not play politics with everything

श्री बूटा सिंह मै इस बिल को पेश करने के लिए गवर्नमेंट का मशकूर हू। आप ने इसको पेश करके दिल्ली के गुरुद्वारो के चुनाव के हालात पैदा किये है। श्री बसु ने जो कहा कि प्रधान मत्री ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को एक पत्र लिखा। लेकिन जब बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी मे उन्होने इस मसले को उठाया तब यह आज सदन मे आया। बात दरअसल यह है कि उस पत्र में यह लिखा था कि इस सदन के इसी सेशन मे इस बिल को लाया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु. लिस्ट मे नही था।

श्री बूटा सिंह लिस्ट मे न होगा। मगर, प्रधान मत्री के उस पत्र मे यह लिखा गया था कमेटी को कि यत्न किया जा रहा है कि सदन के इसी सेशन मे इस बिल को पास किया जायगा। तो प्रधान मत्री जी ने स्वयं उस पत्र मे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को लिखा। हम श्री ज्योतिर्मय बसु जी के मशकूर है कि उन्होने बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में इस बिल को इसी सेशन के अन्तिम दिनो मे पेश करने के लिए गवर्नमेंट को सुझाव दिया। गवर्नमेंट ने यह सुझाव मान कर इसको पेश किया।

इसमे कोई ज्यादा तब्दीली तो नही होने जा रही है। जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है यह जो अमेडमेंट बिल आ रहा है यह तो एक नार्मल कैरेक्टर का

[श्री बूटा सिंह]

बिल है जिसके जरिये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को दूर किया जा रहा है। मगर मैं इस वक्त कुछ मूल प्रश्न पैदा करना चाहता हूं।

मेरी प्रार्थना है कि गुरुद्वारा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हैं, पंजाब मे ही नही हैं, हिन्दुस्तान के तकरीबन हरएक राज्य मे सिख गुरुद्वारा हैं। गुरुद्वारा हिन्दुस्तान के बाहर भी हैं। मिडिल ईस्ट मे हैं, सीलोन मे है, नेपाल मे हैं और और बहुत से मुल्को मे हैं। उसकी वजह यह है कि सिख धर्म के प्रवर्त्तक गुरु नानक देव जी महाराज ने जो उनको मेसेज ईश्वर का मिला उसको उन्होने सारे ससार मे प्रचार करने का प्रयत्न किया। इसलिए अगर बाहर के गुरुद्वारों के लिए इस पार्लियामेंट में फौरन हम कुछ नही कर सकते तो कम से कम जो गुरुद्वारा हिन्दुस्तान के अदर है तमाम राज्यों मे उन सब के लिए एक सेंट्रल लैजिस्लेशन होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। उनकी देखरेख के लिए पार्लियामेंट से एक माडल कानून पास किया जाय। मुझे याद है तीसरी लोक सभा मे हमारे भूतपूर्व साथी श्री अमर सिंह सहगल ने एक ऐसा कानून तैयार करवाया था। किन्तु उनकी मृत्यु के बाद वह कानून भी कहीं खत्म हो गया। इसलिए मै आज के इस मौके पर मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हू कि जितने भी गुरुद्वारे हिन्दुस्तान मे स्थित है उन सब के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए।

एक बात और मै वाजेह करना चाहता हू आज के दिन कि सिखो के लिए गुरुद्वारा कोई एक साधारण चहारदिवारी ही नही है, एक इमारत ही नही है या खाली पूजा का स्थान ही नहीं है। गुरुद्वारे का सही मंतव्य सिख के लिए क्या है? उसके लिए पूरा जीवन ही गुरुद्वारा है। जब जन्म होता है तो बच्चे को गुरुद्वारे मे ले जाया जाता है, नामकरण संस्कार कराया जाता है तब उसको गुरुद्वारे में ले जाया जाता है, शादी होती है तो गुरुद्वारे में ले जाया जाता है और मृत्यु होती है तो आखीरी वक्त मे भी सब लोगों का यही ख्याल होता है कि श्मशान भूमि मे ले जाने से पहले गुरुद्वारे में इसका शीश नवाया जाय। इसलिए एक सिख के लिए मुकम्मिल जीवन ही उसको वहां से मिलता है। वहा से उसको सत्य का उपदेश मिलता है, सतोष मिलता है, अमृत मिलता है, नाम अमृत मिलता है। इसलिए गुरुद्वारे को खाली यह न समझा जाय कि यह एक बिल्डिंग है और उसके साथ प्रापर्टी है, इसलिए उसका प्रबन्ध करने के लिए एक कमेटी चाहिए यह उसका सही माने नही है। उसका सही माने यह है कि गुरुद्वारा एक सिख के लिए पूरा जीवन है। इसलिए वह एक राज्य से दूसरे राज्य मे भिन्न नही हो सकता।

दूसरी बात—हमारे अन्तिम गुरु महाराज, जिनको हम दशम बादशाह कहते है उनकी वाणी है और गुरु ग्रन्थ साहब मे इस बात का जिक्र है कि जो केन्द्रीय द्वारा ह सिखों की वह हरि मन्दिर साहब और अकाल तख्त साहब जो हमारे लिए महानता रखते है धर्म के मामले मे, इन दोनों मे निकला हुक्म जो होगा वह सभी सिखो के लिए चाहे वह सिख कहीं क्यों न हो कैनाडा मे हो, यू के मे हो अफ्रीका मे हो कहीं भी हो उसके ऊपर उसी तरह से लागू होना है जिस तरह से पजाब के सिखों के ऊपर लागू होता है। बड़े दुख की बात है कि हम कभी कभी सुनते है कि किसी किसी राज्य मे अलग से सिख गुरुद्वारा बोर्ड बनाने की चर्चा होती है। अखबारों मे आता है, उसके लिए एजीटेशन होता है और पोलिटिकल पार्टीज उसका नाजायज फायदा उठाती हैं।

आपको याद होगा कि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो गुरुद्वारे का एक मोर्चा लगा हुआ था। ब्रिटिश राज के खिलाफ और उस वक्त के एस्टेब्लिश्ड जो महत लोग थे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। उसमे फतेह हासिल हुई और उस फतेह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक

टेलीग्राम भेजा था कि यह आजादी की मुहिम का सब से बड़ा पहला मोर्चा जीता गया है। इसलिए मैं आज सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप के माध्यम से मंत्री जी से और अपने सभी सदस्य भाइयों से कि गुरुद्वारों को न तो राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए और न ही गुरुद्वारों के जरिए प्राविंशियलिज्म या जो फैक्शनलिज्म का प्रचार होता है वह होना चाहिए। वह तभी हो सकता है जब कि मंत्री मैंने शुरू में दरख्वास्त की है एक सेंट्रल लेजिस्लेशन हो जिसके माध्यम से सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों की देखभाल हो और उनका जो प्रबन्ध है उसका बन्दोबस्त पार्लियामेंट की तरफ से किया जाय।

जहां तक इस अमेंडमेंट का प्रश्न है मैं समझता हूं कि जैसा मंत्री महोदय ने बताया है यह एक एनेबलिंग अमेंडमेंट है मुश्किलात को दूर करने का अमेंडमेंट है उस पर कोई ज्यादा वादविवाद या चर्चा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने यहां एलेक्शन को डिले किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन सब सज्जनों से कि दिल्ली में तो एलेक्शन गवर्नमेंट ने डिले किया, पंजाब में किसने किया ? दस पन्द्रह वर्ष से कमेटी का चुनाव नहीं हुआ।

इसीलिए मैं बारबार यही प्रार्थना करता हूं कि गुरुद्वारों को राजनीति से अलग रखने के लिए जरूरी है कि गुरुद्वारा के मेम्बर ऐसे सज्जन बनें जो किसी पोलिटीकल पार्टी के टिकट पर चुन कर न आयें, बल्कि उन को धार्मिक जीवन, सिख धर्म की पूरी जानकारी हो। सिख धर्म के उसूल ऐसे हैं जैसे सूरज और चन्दा की रोशनी वे सारी दुनिया को रोशनी देने के लिए है किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं हैं।

शुरू शुरू में हमारे बैनर्जी साहब ने बहुत खुबसूरत फरमाया कि आप की सदारत में एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। आप ने भी खूब फरमाया कि हमारे लिये पूजनीय बाबा फरीद का पवित्र कलाम उतनी ही अहमीयत रखता है जितना गुरुनानक देव जी महाराज का। सही मायनों में उन पर चल कर एक इन्सान अपना जीवन परफेक्ट जीवन बना सकता है, परफेक्ट इन्सान बन सकता है। हमारे गुरु महाराज जी के कलाम, दूसरे बड़े बड़े बुजुर्गों के कलाम, कबीर साहब के कलाम, नाम देव जी महाराज के कलाम—ऐसे कलामों का मुजम्मिमा है जिन से एक इन्सान अपनी जिन्दगी को मुकम्मिल करता है—इस लिये इन के प्रचार के लिए पालिटीशियन्ज दूर रखे जाएं तो अच्छा है।

मैं आज को इस अमेंडमेन्ट का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि इस के पास होने के बाद दिल्ली गुरुद्वारों के चुनाव जल्दी पूरे किए जाएंगे और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सरकार जल्दी ही गुरुद्वारों के लिये कम्प्रीहेन्सिव आल इण्डिया एक्ट ले कर आयेगी, जिस से हम न सिर्फ हिन्दुस्तान बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर के गुरुद्वारों के लिये अच्छी देखभाल और अच्छा इन्तजाम प्रोवाइड कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री झारखण्डे राय (घोसी): मान्यवर, 1971 में दिल्ली गुरुद्वारों के संबन्ध में जो कानून पेश किया गया था, उस को व्यवहार में लाने के बाद जो दिक्कतें महसूस हुईं, उन को दूर करने के लिये यह बिल पेश किया गया है। इस में कोई नीति वक्तव्य या पालिसी मैटर का मामला नहीं है। इस में कुछ पावर्स के बारे में है, इलैक्शन्ज के बारे में कुछ सुझाव है, इस सिलसिले में जो भी दिक्कतें आई हैं उन

[श्री झारखण्ड राय]

को दूर करने के लिये कुछ तरमीमें पेश की गई हैं। इस लिये इस कानून का विरोध करने का कोई सवाल नहीं उठता और इस में विरोध करने के लिये कोई बात भी नहीं है। बहुत ही टैक्नीकल बातें हैं, पहले कानून को सरल करने के लिये, चुनाव सम्बन्धी कुछ दिक्कतें को दूर करने के लिये पेश की गई हैं।

लेकिन बुनियादी प्रश्न यह है कि आज बीसवीं शताब्दी में भी इन धार्मिक स्थानों का, चाहे मन्दिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, या गिरजाघर हो या दूसरी इबादत की जगह हो, इन की उपयोगिता मानव के लिये क्या है? मानव जाति के लिये, मनुष्य के लिये इनका क्या इस्तेमाल है। मैं बहुत विवाद में न जाकर इतना कह सकता हूं—अभी भी लाखों करोड़ों इन्सानों को इन स्थानों पर जाकर, अपने तरीके से पूजा पद्धति का अनुसरण कर के सन्तोष मिलता है, चाहे वह सन्तोष झूठा हो, उस में रैशनलाइजेशन न हो, साइन्टिफिक न हो, लेकिन सन्तोष मिलता है। इस लिये अभी इस की अहमियत है, इसका महत्व है। लेकिन हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि और दुनिया के दूसरे मुल्क भी इस बात के साक्षी हैं कि ऐसे स्थानों का समय-समय पर बहुत दुरुपयोग किया गया है। हमारे देश में इन धार्मिक स्थानों का फिरकेवाराना प्रचार का अड्डा बनाने का प्रयत्न किया गया है। पिछले जमाने में जब कि आजादी लड़ी जा रही थी तब भी, और आज जब कि सैकुलर डैमोक्रेसी, समाजवाद की तामीरी जग में हम आगे बढ़ रहे हैं तब भी, इन का इस्तेमाल मौके मौके पर किया जाता है। हम से यह बात छिपी हुई नहीं है कि मुस्लिम लोग ने उस जमाने में, जब कि उस का बहुत जोर था, मस्जिदों का किस तरह से फिरकेवाराना सियासत के प्रचार के लिये इस्तेमाल किया। उसी तरह से जैसा हमारे भाई बूटा सिंह के कहा—उस शानदार इतिहास के बाद गुरुद्वारा का कितना गलत इस्तेमाल खास कर अकाली पार्टी की सियासत के लिये पंजाब में किया गया—इस बात से आप अच्छी तरह से वाकिफ है और इसे सारा देश जानता है। इसी तरह से हिन्दुओं के मन्दिरों का इस्तेमाल साम्प्रदायिक संस्थाओं ने, राजनीति में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया और अभी भी मौके मौके पर उनका इस्तेमाल करते हैं। आज भी बहुत सी जमायतें हैं—जमायते इस्लामी, मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम मुशव्विरात और मुस्लिम लीग भी—मस्जिदों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिये करती है। कुछ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भाई भी मन्दिरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अकाली दल के लोग गुरुद्वारों का इस्तेमाल मौके मौके पर अपनी सियासत के लिये करते हैं। यह ठीक है कि कुछ करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा सुझाव है कि ये जितने गुरुद्वारे है—मैं भाई बूटा सिंह की इस बात से भी अपनी सहमत हूं—जिस वक्त यह बुनियादी कानून शुरू में

पेश किया गया था, उस वक्त भी यह आवाज उठाई गयी थी कि सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों के इन्तजाम के लिये एक सैन्ट्रल बिल लाना चाहिए। वही आवाज भाई बूटा सिंह ने आज भी उठाई है और मैं उस को ताईद करता हूं। केवल गुरुद्वारों के लिये ही नही मैं तो यहां तक कहूंगा कि तमाम मन्दिरों मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के इन्तजाम के लिये अब सरकार को हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिये। आज इन के धन का बहुत दुरुपयोग होता है। यह ठीक है कि बहुत से मन्दिरों में तो दीपक जलाने के लिये तेल भी नहीं है, पुजारी के खाने के लिये नमक और रोटी भी नही है, लेकिन ऐसे बहुत से बड़े बड़े मन्दिर है, उन के अन्दर अपार धन भरा पड़ा है, जिस का दुरुपयोग होता है—यह एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार साहस के साथ इन तमाम धार्मिक मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के सुप्रबन्ध के लिये एक कम्प्रीहेन्सिव बिल नैशनल-स्केल पर लायें। 25 साल की आजादी के बाद अब मौका आ गया है कि सरकार को साहस कर के यह काम करना चाहिये और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारे देश की जनता, जो धार्मिक विचारधारा को रखते हुए भी साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर चलती है, देश की एकता सर्वोपरि समझती है, सैकुलर डैमोक्रैसी में विश्वास रखती है, राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखती है—आप के उस कदम का समर्थन करेगी। इस लिये इस में डरने की कोई बात नहीं है, इस से किसी का वोट नही कटेगा, यदि कट तो ऐसा वोट कट जाए तो अच्छा है। इस लिये मैं सुझाव दे रहा हूं कि इन की जितनी धन और सम्पत्ति है उस पर राष्ट्र का स्वामित्व होना चाहिये। एक एक मन्दिर की करोड़ो की आय है, वह सब खाया जाती है, राजनीतिक लोग खाते हैं और उस का गलत इस्तेमाल करते हैं। केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि अन्य बुराईयों के लिये भी उस धन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन से छुट्टी मिल जाये तो मैं चाहूंगा कि उस धन का तीन कामों मे इस्तेमाल किया जाये—

1. जितना जरूरी हो उतना पूजा-पाठ के लिये उस का इस्तेमाल हो।

2. प्राच्य दर्शन शोध संस्थान — ईस्टर्न फिलोसफी रिसर्च सैन्टर पूरे देश में कायम होने चाहिये, उन मे इस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिये। इन सैन्टर्स मे प्राच्य दर्शन की पूरी मीमांसा, समीक्षा और विश्लेषण किया जाये।

3 इन दो कामों के बाद जो पैसा बचे उसका इस्तेमाल केवल शिक्षा संस्थाओं को फैलाने मे, उन के विस्तार मे होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस तरीके से अब सरकार केवल गुरुद्वारे ही नहीं, बल्कि मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर, इन सब को राष्ट्र के हाथ मे लेगी और इन के सम्पूर्ण धन के उपयोग के लिये सामने करके कोई कानून लायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का आम तौर पर समर्थन करता हूं।

SHRIMATI T LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam). I welcome this Bill This is meant to remove certain difficulties in the functioning of the Gurdwara Committee. Mr. Jyotirmoy Bosu said that only some Congress Members are put on this Committee May I tell them the reason? After hearing the gentleman who spoke before me, I could tell them, why they were not put. Because, they do not believe in what is called religion and he asked: what is the use of these places? What is the importance of these places, whether they are temples or gurdwaras or mosques? Sir, I was reading a year

Shrimati T. Lakshmikanthamma]

back, when I was travelling by the plane from Madras to this place, an article written in the Indian Express, perhaps in its Madras Edition, where something was said about Mao Tse-Tung, where he seems to have mentioned about God in two or three places. It was a pleasant surprise for me that when two or three people inquired about his health he used the word 'God'. So, how can anybody escape God whether he is a Communist or Congress. It is impossible for anybody to escape God

It is true politics should not be brought in these institutions. Religion has been exploited for political ends. Sir, I would like to give the example of the management of Tirupati. Tirupati is the biggest temple in the whole of the country where there is an income of crores of rupees. So also, I am told, in Gurdwaras the income is very large. Some of these committees should emulate and learn from each other. Many educational institutions have come under their management Even in Delhi Tirupati management is having a college. The culture of this country can be revived. Many people are surprised how India is surviving in spite of all difficulties and they say it is because of the great spiritual strength that this country is surviving. Spiritualism is of utmost importance either from the point of view of making a personality or facing a situation. We should save these institutions from politics. On the other hand whenever politicians lack courage they should go to get inspiration from them so that they can work with greater vigour.

SHRI HAMENDRA SINGH BANERA (Bhilwara): The hon. Minister has emphasised about the simplicity of this Bill. I can understand this is a simple Bill.

But, what about the malafide intentions hidden in this Bill? Sir, this is to scuttle elections to the Delhi Sikh Gurdwara Committee. It is yet another step to thwart the democratic rights which pou gave them in 1971 Sir, in 1971, we passed this Bill and it was mentioned therein that elections would be held as soon as possible. Now, we are in 1974 and still the elections have not taken place Instead, they have nominated a Committee and it is a well known fact that the persons who somehow or other aligned to the ruling party are its members. I do not want to go into the details as to how they are functioning. I accept that the management under this Committee has improved But, then, what about the intentions of this Bill which was pased in 1971, wherein, we decided to give democratic rights to the Sikhs. Sir, I want that the hon Minister should state in this House today when the elections are going to be held. A huge amount has already been spent in making elaborate arrangements to hold elections. But, this amending Bill has been introduced when Government feels that those who are aligned to their party, or if I may say so the stooges will not be able to get themselves selected to this Committee. This is very unsporting and shows the *mala fide* intentions of this Government

Sir, the only objection which I have in regard to this amendment is that they are going to make it compulsory for the Members who want to seek elections to this Committee that they should be able to read and write Gurmukhi. There is no such thing which is applicable for a Member of Parliament. I agree that a person who wants to get himself elected should be a Sikh and this is very well defined in this Bill, which was passed in 1971. I hope the Minister will give due consideration to my appeal and he will come out with a categorical statement as to when the elections would be held and that there will be no new hurdles in future.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर): चेयरमैन साहब, मैंने लिख कर दिया है कि मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूं। अगर इसके ट्रान्सलेशन का इन्तजाम न हो तो मैं हिन्दी में ही बोलूं।

सभापति महोदय : मैं आपको बुला रहा हूं, आप बोलें। आप पंजाबी में बड़ी खुशी के साथ बोलें, जरूर बोलें लेकिन अभी तक बदकिस्मती से पंजाबी में साइमल्टनियस ट्रांसलेशन का इन्तजाम नहीं हो सका है। अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) सभापति जी, सोखी जी को आप पंजाबी में बोलने की इजाजत जरूर दें।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : ट्रांसलेशन जब नहीं होगा तो लोग कैसे समझेंगे मेरी बात।

सभापति महोदय : इस देश की 15 लैंग्वेजेज के लिए यह इन्तजाम होना है जोकि अभी नहीं हो सका है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : फिर मैं हिन्दी में बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : चेयरमैन साहब, सब से पहली बात यह है कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा बिल 1971 में लाया गया था वह सिखों की आपसी लड़ाई की वजह से लाया गया। जब 1971 में वह बिल आया था तो मैंने उस समय बहस में हिस्सा लिया था। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि दिसम्बर 1971 में जो बिल पास हुआ उस के मुताबिक अभी तक कोई चुनाव नहीं हो सका। इसका नाजायज फायदा दूसरी पार्टियां उठा रही हैं।

इलेक्टर्स लिस्ट जो बनी है उस में 60 परसेंट इलेक्टर्स जो ऐनरोल किये गये वह लोग डिसक्वालीफाई हो जायेंगे। 1971 के कानून के क्लाज (8) के तहत और जब आप चुनाव करायेंगे तो सिखों में आपस में क्लैश होंगे। जहां तक धर्म का सवाल है धर्म और पोलिटिकल पार्टियां अलग अलग हैं। कोई आदमी किसी भी पोलिटिकल पार्टी से वास्ता रखता हो परन्तु जहां तक धर्म का सवाल है वह पहले सिख है। जो पोलिटिकल पार्टीज इलेक्शन गुरुद्वारों के बल पर लड़ती है यह नहीं होना चाहिये और न ही किसी गुरुद्वारे को कहीं कैंडीडेट खड़े करने का हुक्म होना चाहिये। यह संशोधन जो लाया गया है वह सही है, इस को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये और इलेक्शन कराइये।

जैसा मेरे दोस्तों ने कहा कि सब कांग्रेस पार्टी के ही आदमी थे, मेरा कहना है कि सरदार जोगेन्दर सिंह और एक, दो और को छोड़ कर कोई भी कांग्रेस पार्टी का मेम्बर नहीं है। आप इस का पता लगा सकते हैं। आप को शायद पता होगा कि हमारे तख्तों में सब से बड़ा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहब नन्डेड है। मैं उस गुरुद्वारे के बोर्ड पर पालियामेंट की तरफ़ से रिप्रजेन्ट करता हूं। इस गुरुद्वारे पर पिछले दशहरे में गोली चली, आपस में सिखों की लड़ाई हुई, मैं भी वहां उस समय मौजूद था। इसलिये ऐसी लड़ाइयों को सरकार को कंट्रोल करना चाहिये। इसी तरह से पटना साहब तख्त है उस के लिये भी बिल लाना चाहिये। सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहब नन्डेड के लिये भी दिल्ली गुरुद्वारा की तरह का ऐक्ट लाना चाहिये। नं फिर वहां दशहरे की तरह लड़ाई होगी। क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते कि अमृतसर शिरोमणि दल के लोग आ कर हमें रूल करें। या आप महाराष्ट्र सरकार को कहें कोई गुरुद्वारा, मजिस्द या गिरजा वाले सरकार का दखल नहीं चाहते हैं। इसलिये अगर

[सरदार स्वर्ण सिंह सोखी]
आप गुरुद्वारों को नेशनेलाइज करना चाहते है तो मुश्किल हो जायगी ।

मैं ने पिछली 30 तारीख को यहां एक बात उठायी थी जो गुरु गोविन्द सिंह, जो हमारे दसवें गुरु हुए है, उन के बारे में एक बहुत ही डरोगटरी किताब छपी थी । वह किताब है "औरंगजेब ऐंड हिज टाइम्स" । उस किताब में यह कहा गया .

Guru Gobind, overtaken by calamities and having suffered great misery and distress wrote a petition to Aurangazeb in Persion verse enumerating his misfortune....In fact the verses in praise of the latter are full of compliments and the guru openly declared himself a servant of the emperor."

यह सब किताबे मेहरबानी कर के न छपे । किसी भी मजहब के खिलाफ एसी किताबे नही छपनी चाहिये, यह सरकार को देखना चाहिये ।

अन्त मे मेरा कहना है कि इस बिल को यूनानिमसली पास कीजिये और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराइये, और दूसरे गुरुद्वारो के लिये, जैसे नन्डेड साहब का गुरुद्वारा है, उस के लिये भी बिल लाइये या फिर महाराष्ट्र सरकार को कहिये । नही तो फिर खूनखराबा होगा ।

SHRI F. H. MOHSIN: I am thankful to the hon. Members who have given unqualified and unanimous support to this Bill. I have already submitted that this is a very simple Bill seeking to remove some anomalies which were found out in the way of holding elections to the management of the Sikh gurudwaras. Mr. Jyotirmoy Bosu said that it was with a view to have political encashment that this Bill had been brought. I refute the allegation. There is no politics in this. The Delhi Administration and the Directorate of elections brought to our notice that there were certain difficulties in holding elections to the Gurudwara Committee and we wanted these difficulties to be removed. It was not with a view to have any political encashment that this Bill had been brought in. He also said that the Government should not play politics. We do not want to play politics with any religious institution I wish that Mr. Bosu and his party also maintained the same spirit. Good things have been said by so many Members that religious institutions should be kept free from politics; I support the idea; they should be only for religious purposes and should never be utilised for political objectives. With that end in view an amendment was brought to the Representation of the Peoples Act that religious institutions, mosques temples, gurudwaras, etc. should not be made the forum of political propaganda in elections. We never encourage the idea of making religious institutions into political forums political arena for election propaganda. It is a good suggestion from Members of all sides and I hope all will act up to that. Sardar Buta Singh has made some very good suggestions He has narrated the role that gurdwaras played in bringing integration among the various communities of the country and the noble values for which the gurdwaras stood I entirely agree with him and I wish that the spirit is followed in future also What is needed now is understanding between various religious denominations, because sometimes very unhappy incidents occur. Perhaps a proper understanding of all the religions would go a long way in fostering friendship and removing misunderstandings between various communities.

He said there are gurdwaras in other States of India and even in other countries. Of course, I have not travelled much and I do not know about other countries. But I know in other States there are gurdwaras.

He said there should be a central committee for the management of all gurdwaras in the country. We will examine this suggestion. There are various Acts in different States for religious endowments and public trusts. He wants a Central Act. Whether a single central committee can manage all the gurdwaras throughout the length and breadth of the country is a point to be examined. We will look into it.

17.44 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Jharkanda Rai made various suggestions. He is a communist and may be an atheist also; I do not know. He said that the funds of charitable institutions should be used for good purposes. I agree. I am glad that the funds of gurdwaras in Delhi and Punjab are mostly utilised for the purpose of humanity, irrespective of caste and creed I know they are running many higher secondary schools, colleges and hospitals. I have seen in Tirupathi and other places, religious institutions which have large funds are running colleges, universities and hospitals. This is a very good service of the people and this is an example to be emulated by others. He also said that the funds should be utilised for a research centre and educational purposes. I commend this to all the religious institutions.

My hon. friend from Rajasthan called this Bill *mala fide*. He supported the amending Bill but he said, it is *mala fide*. I do not understand what he meant thereby. I do know that the Act was passed in 1971. At that time, these deficiencies were not made known. It was only when we were prepared to hold elections that it was brought to our notice by an officer in-charge of elections that these anomalies were there. There were genuine complaints. It was only with a view to remove the obstacles in the way of elections that we brought this measure. It is not a *mala fide* Bill. It is a *bona fide* Bill. We want to hold elections as early possible. If this Bill is passed by the Rajya Sabha during this session, I am sure, they will be able to hold elections before the end of the year. That will satisfy our friends on all sides.

He also asked why it should be made compulsory for a Sikh to read and read and write to become a Member of the Executive Board when, to become a Member of Parliament, reading and writing is not compulsory. Of course, that seems to be a valid point. Anyway, it is only in line with the provisions contained in the Punjab Gurdwaras Act that we have kept this provision. That is according to the wishes of the Sikh leaders. We have to give due consideration to the views expressed by Sikh leaders. It is in line with the Punjab Gurdwaras Act which is already in force that a Member who wishes to contest election to the Executive Board should be able to at least read and write Gurmukhi

Sardar Swaran Singh Sokhi also made a point that many persons would lose their voting power by this amending Bill. I cannot understand. Perhaps, he does not know that the amending Bill does not affect the voters at all. The qualification of reading and writing applies to only those persons who seek election to the Executive Board.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI: That is not my point. I have gone through the whole Bill. I mentioned clause 8 of the Delhi Gurdwaras Act.... .

SHRI F. H. MOHSIN: We are at present concerned with the amending Bill. Your observation was not concerning the present Bill before the House.

He also said that there might be some clashes and all that. We do not want any clash to take place. We want that elections should be held in a very peaceful manner.

[Shri F. H. Mohsin]

Also, a point was made by Shri *Jyotirmoy Bosu* and *others* that Congress Members were appointed to the Managing Board. It is not a fact. It has already been refuted by my hon. friend, Sardar Swaran Singh Sokhi. There were eminent people who were appointed by the authority which was given by the Ordinance. Those persons were, Sardar Tikka Jagjit Singh Bedi, Sardar Joginder Singh, Sardar Bahadur Ranjit Singh, Bhai Mohan Singh and Sardar Pritam Singh. Sardar Joginder Singh who is the Chairman of the Board was a Member of the Rajya Sabha and the Central Assembly for many years.

At present, he is the Governor of Rajasthan. Sardar Bahadur Ranjit Singh is a landlord, who was a member of the Lok Sabha for a full term of five years. His father, Rai Bahadur Bishan Singh, is known till today as one of the builders of Gurdwara Sis Ganj Sahib, Delhi. Tikka Jagjit Singh Bedi hails from a family of the descendants of Great Guru Nanak and is well respected. He has been a judge of the High Court, Delhi Bhai Mohan Singh is President of All India Drug Manufacturers Association and was Vice-President of the New Delhi Municipal Committee. He had also been Chairman of Punjab-Delhi-Haryana Chambers of Commerce. He is one of those business magnates of whom the country is very proud. Sardar Pritam Singh Sandhu is a brilliant young man whose father was at one time President of Delhi Sikh Gurdwara Prabandhak Committee.

These are eminent persons, highly respected among the Sikh community in general. It was not our intention to appoint any Congressman in that. The prime factor was, they enjoy the confidence of a large section of Sikh community. They have done very good work. We are looking at the whole elections in an impartial manner I hope the Sikh community will elect good persons and suitable persons to the Board and see that the management of the Gurdwaras takes place in a fitting manner.

Mr. Sokhi has given notice of some amendments. I am unable to accept those amendments. I commend the Bill for the acceptance of the House.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: The hon. Member has made an allegation that in a certain book certain things are written which are very offensive to Sikhs. Will Government enquire into that?

SHRI F. H. MOHSIN: Mr. Sokhi has brought to my notice that there are certain derogatory remarks in certain books. I am not aware. We will certainly look into it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This was not part of this Bill. It came up some time before. Mr. Sokhi had raised that.

The question is:

"That the Bill to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we ake up clause-by-clause consideration. First, we take up clause 2. There are some amendments given notice of by Shri Sokhi. Is he moving them?

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI: I am not moving any of my amendments.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 6 (Amendment of Section 39) Amendment Made

Page 2,—

(i) *for* lines 18 and 19, *substitute*—

"6. In section 39 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—";

(ii) *after* line 22, *insert*—

'(b) in sub-section (4), for the words "two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following," the words "two or more successive sessions, and If, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid," shall be substituted.' (5) (Shri F. H. Mohsin).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI F. H MOHSIN: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मिनिस्टर जिन्होंने जवाब दिया है वह अकलियत से ताल्लुक रखते है । जितनी भी इस पर स्पीचिज हुई हैं बहुत अच्छे ढग से हुई हैं । मैं गैर हाजिर रहा क्योंकि यह मुझे पता नही था कि आज आ जाएगा । जो टाइमली एकशन लिया गया है इसको मैं एप्रिशिएट करता हू । होम मिनिस्ट्री ने मुझे पत्र में कहा था कि इसी सैशन में इसको पास करवाया जाएगा । प्रधान मंत्री ने भी खत दूसरों को लिखा है जिन्होंने यह कहा है कि इसको डिले किया जा रहा था वह गलतफहमी की वजह से कहा है, ना वाकफियत की बिना पर कहा है । काफी सवाल फिरकावायाना तौर पर भी उठाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इसको जल्दी करना चाहिये । यह ख्वामख्वाह की जो नुक्ताचीनी थी, इसको भी आपने दूर कर दिया है और इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है ।

पिछले बार्ड के बारे में मैं कुछ नही कहना चाहता । चौधरी खजान सिंह की रिपोर्ट है । इनकम टैक्स कमिश्नर ने जो रिपोर्ट लिखी उसके बारे मे भी मुझे कुछ नही कहना । लेकिन श्री बसु पढ कर आते और तब बात करते तो अच्छा होता । उन्होने कुछ पर्जेंट रिमार्क्स किए है पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन के बारे मे । मैं उसके बारे मे भी कुछ नही कहना चाहता, बैड ब्लड क्रियेट करना नही चाहता । मैं यही कहुगा कि गुरुद्वारो का मैनेजमेंट उन लोगों के हाथ में होना चाहिये जो बजट आदि को ठीक तरह तैयार कर सके, सिख मर्यादा के मुताबिक काम कर सके । ऐसे आदमी पहले रहे है । नान सिख भी हों तो मुझे कोई एतराज नही है । लेकिन सवाल यह है कि इस मे कहा गया है कि जो गुरमुखी लिख और पढ सकता हो, सिख धर्म के बारे में जो चिन्ह दिए हुए है, उनको वह कायम रखे हुए हो । हम बहुत कुछ करना चाहते है । ऐसी बात भी नही है कि कुछ हुआ नही है । गुरु तेग बहादुर कालेज यहा है । उस कालेज को चलाने की जिम्मेदारी पुराना जो बोर्ड है उसने ली है । उस पर रुपया खर्च किया है । उनके साथ-साथ

[श्री दरबारा सिंह]

इलैक्ट्रोनिक ट्रेनिंग इनस्टीट्यूट भी है। इस तरह की जो संस्थायें हैं उन पर काफी रुपया खर्च किया है। मैं चाहता हूं कि जितना रुपया बचाया है, जो ज्यादा आमदनी हुई है वह इस तरह की चीजों के लिए खर्च की जाए, इकोनोमिक स्तर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए काम किए जाए, स्कूल कालेज खोले जाए। रुपया किसी के घर में चला जाए, बड़ी-बड़ी इमारते बना ली जाए, इसके लिए कभी पैसा इस्तेमाल न हो।

अब यह बिल पास होने ही वाला है। अब आपको डेट फिक्स करनी चाहिये इलैक्शन कराने के लिए। ऐसा न हो कि उसको आगे बढ़ाते चले जाए। ऐसा आपने किया तो यह खतरनाक बात होगी। इस बिल को आपको फोरी तौर पर लागू करके आगे बढ़ना चाहिये ताकि जिस गलतफहमी में आ कर लोग सरकार के खिलाफ प्रचार करते है उनके मुंह बन्द हो जाए।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Mr. Darbara Singh has made some very good suggestions for the future Board which will be elected. He has stated that proper persons should be on the Board and elections should take place early.

18.00 hrs.

I do agree with him that elections should take place early. Sir, after the Bill is passed in Lok Sabha it will go to Rajya Sabha. Then 45 days would be required for holding elections. We will take expeditious steps to hold the elections and before the end of the year it will be completed.

As regards the other suggestion for future Board, I agree with him, when it comes into existence it will be able to act very competently.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Having regard to the business before the House and also to certain decisions arrived at and agreed to by this House, I have now to consider whether we should extend the sitting of this House today. I have stated before it is somewhat irregular for any motion to come before the House to extend the sitting of the House. The Rules give the Speaker power to determine when the House should adjourn and, of course, Speaker is expected to do everything in consultation with and with the consent of the House. I have had a letter from Shri Raghu Ramaiah requesting that the House should sit beyond this time. If that is the pleasure of this House then we sit till 7 p.m.

---

18 03 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)—1974-75

MR DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 1974-75 for which 3 hours have been allotted.

Demand No. 4—Working Expenses—Administration

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,61,82,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Working Expenses—Administration'."